भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 251

19 नवम्बर, 2019 के लिए प्रश्न

खाद्य वितरण में भ्रष्टाचार

251. श्री रवि किशन:

डॉ. रामशंकर कठेरिया:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सहित देश में खाद्य वितरण में भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त भ्रष्टाचार को रोकने हेतु स्थायी समाधान के लिए क्या योजना बनाई गई है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क) से (ग): सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रीय सरकार और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की संयुक्त ज़िम्मेदारी के तहत प्रचालित की जाती है, जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर प्रचालनात्मक ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार की होती है। भ्रष्टाचार, राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों के लीकेज और अन्यत्र हस्तांतरण और खाद्यान्न वास्तविक लाभार्थियों तक न पहुंचने आदि सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में अनियमितताओं के बारे में जब कभी सरकार को व्यक्तियों और संगठनों तथा प्रेस रिपोर्टों के माध्यम से शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो उन्हें उनके द्वारा जांच और समुचित कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को भिजवा दिया जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के प्रावधानों के उल्लंघन में किए गए अपराध के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

इस प्रकार, इस आदेश में इन आदेशों के संगत प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार को दंडात्मक कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस विभाग में वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसी शिकायतों की संख्या दर्शाने वाला उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। इसके अलावा, इस प्रणाली को और अधिक कार्य कुशल और पारदर्शी बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के अंतर्गत निगरानी और शिकायत निवारण हेतु संस्थागत तंत्र के अंतर्गत सतर्कता समितियों के गठन, जिला शिकायत निवारण अधिकारियों और स्वतंत्र राज्य खाद्य आयोग के गठन का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए यह विभाग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से "सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण" नामक एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों/लाभार्थियों का डिजिटीकरण करना, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कंप्यूटरीकरण करना, पारदर्शिता पोर्टल और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना शामिल है। इस स्कीम में खाद्यान्नों के वितरण और बिक्री संबंधी सभी लेनदेन का इलेक्ट्रोनिक रिकार्ड रखने के लिए सभी उचित दर दुकानों पर इलेक्ट्रोनिक पॉइंट ऑफ सेल (ई-पीओएस) उपकरणों की स्थापना के माध्यम से उचित दर दुकानों का स्वचालन शामिल है।

******

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 19.11.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 251 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुबंध

विवरण : वर्ष 2019 (दिनांक 31.10.2019 तक) के दौरान विभाग में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में व्यक्तियों, संगठनों और मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से प्राप्त शिकायतें

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019
1	आंध्र प्रदेश	6
2	अरुणाचल प्रदेश	-
3	असम	7
4	बिहार	108
5	छत्तीसगढ़	7
6	दिल्ली	78
7	गोवा	1
8	गुजरात	7
9	हरियाणा	34
10	हिमाचल प्रदेश	1
11	जम्मू और कश्मीर	3
12	झारखंड	16
13	कर्नाटक	18
14	केरल	11
15	मध्य प्रदेश	24
16	महाराष्ट्र	24
17	मणिपुर	-
18	मेघालय	1
19	मिजोरम	-
20	नागालैंड	1
21	ओडिशा	16
22	पंजाब	14
23	राजस्थान	23
24	सिक्किम	-
25	तमिलनाडु	15
26	तेलंगाना	3
27	त्रिपुरा	-
28	उत्तराखंड	12
29	उत्तर प्रदेश	328
30	पश्चिम बंगाल	48
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-
32	चंडीगढ़	-
33	दादरा और नगर हवेली	-
34	दमन और द्वीप	-
35	लक्षद्वीप	-
36	पुडुचेरी	1
योग		807